विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या–36 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
36(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद–जौनपुर के कोतवाली अहियापुर में मुकदमा अपराध संख्या–116/2023 धारा 420/406/504 पंजीकृत है ?	हां
(ख)	यदि हां, तो उक्त मुकदमा का सम्पूर्ण विवरण क्या है और उक्त दर्ज मुकदमें के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही हुई है व पीड़ित व्यक्तियों के साथ अब तक क्या न्यायोचित कार्यवाही हुई है ?	वादिनी मुकदमा श्रीमती नीलम अग्रहरि पत्नी दिनेश अग्रहरि, नि0 अहियापुर, थाना–कोतवाली, जनपद जौनपुर द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण जितेन्द्र अग्रहरि के विरूद्ध धोखाधड़ी करते हुये बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–सिपाह, जौनपुर से लोन स्वीकृत कराने संबंधी कतिपय आरोपों के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर के आदेश अंतर्गत धारा–156(3) सीआरपीसी के तहत दिनांक 28.04.2023 को थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0–116/2023 धारा 420/406/504/506 भादवि बनाम जितेन्द्र कुमार अग्रहरि पुत्र स्व0 लालजी अग्रहरि, नि0 विशेषरपुर पचहटिया, थाना लाईनबाजार, जनपद जौनपुर में पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार अग्रहरि एवं सुधा अग्रहरि पत्नी जितेन्द्र अग्रहरि, नि0 विशेषरपुर पचहटिया, थाना लाईनबाजार, जनपद जौनपुर की घटना में संलिप्तता पाये जाने पर उसका नाम प्रकाश में लाया गया। तमामी विवेचना साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र अग्रहरि, नि0 विशेषरपुर पचहटिया, थाना लाईनबाजार, जनपद जौनपुर, 2. सुधा अग्रहरि पत्नी जितेन्द्र अग्रहरि, नि0 विशेषरपुर पचहटिया, थाना लाईनबाजार, जनपद जौनपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 420/406/504/506 भादवि का अपराध पाये जाने पर अभियोग की विवेचना जरिए आरोप पत्र संख्या–115/2023 दिनांक 05.06.2023 को समाप्त की गयी, जो बाद पर्यवेक्षण मा0 न्यायालय दाखिल किया जा चुका है।
(ग)	उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
(घ)	यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।